(73)

न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, झुंझुनू

पीठासीन अधिकारी :– उमर दीन खान
आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या 122/2020

भारतीय स्टेट बैंक, शाखा नवलगढ, जिला झुंझुनूं।

–– प्रार्थी (सिक्योर केडिटर)

बनाम

श्री रविन्द्र कुमार पुत्र श्री हीरालाल जाट, 194, ग्राम कैरू, तहसील नवलगढ, जिला झुंझुनूं (राज0)

–– ऋणी/अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र सिक्योरिटाईजेशन एण्ड रिकन्शट्रक्शन ऑफ फाइनेन्शियल असैट्स एण्ड एनफोर्समेन्ट ऑफ सिक्योरिटी इन्टरेस्ट एक्ट 2002 (अब आगे से एक्ट से सम्बोधित किया गया है) की धारा 14 के अन्तर्गत ऋणी/जमानती से बैंक सिक्योरिटीज एवं सिक्योरिटीज से सम्बन्धित डॉक्यूमेन्ट्स का कब्जा लेकर बैंक को सुपुर्द करने के सम्बन्ध मे प्रस्तुत।

––

उपस्थितः–
श्री विजयसिंह, एडवोकट– प्रार्थी बैंक की ओर से

आदेश

दिनांक 25.02.2021

प्रार्थी भारतीय स्टेट बैंक के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के अनुसार संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि बैंक ने ऋणी श्री रविन्द्र कुमार पुत्र हीरा लाल जाट को दिनांक 24.04.2015 को कुल रूपये 10,00,000.00 अक्षरे दस लाख का ऋण स्वीकृत किया था। इस हेतु ऋणी/जमानती ने बंधक विलेख व आवश्यक दस्तावेज दिनांक 24.04.2015 को निष्पादित किये थे। उक्त ऋण राशि निम्न परिसम्पति, प्रतिभूति करार के अन्तर्गत प्रतिभूति आस्ति से रक्षित हैः– श्री रविन्द्र कुमार पुत्र श्री हीरा लाल जाट के नाम व्यावसायिक भवन पट्टा नं0 705, खसरा नं0 596, वार्ड संख्या 29, चेलासी रोड, नवलगढ, जिला झुंझुनूं (राज0) स्थित भूमि व निर्मित भवन हेतु गारन्टी के रूप मे ऋणी ने आवश्यक दस्तावेजों को निष्पादन करके परिसम्पति पर प्रतिभूति हित से सम्यक/दृष्टिबंधक किया है। प्रदत्त ऋण पर ब्याज और ऋण के भुगतान में चूक होने पर अतिरिक्त ब्याज करार की शर्तों के अनुसार देय है। ऋण और ब्याज को समय पर चुकाने में असफल होने पर ऋणी के खाते को बैंक द्वारा दिनांक 29.02.2020 को नियमानुसार अनर्जक परिसंपत्ति (एन.पी.ए.) के रूप में वर्गीकृत कर दिया गया था। बैंक के प्राधिकृत अधिकारी ने दिनांक 06.03.2020 को मांग नोटिस वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनगर्ठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 13(2) के अन्तर्गत रजि.एडी/कोरियर/यू.पी.सी. से मांग नोटिस भेज करके 60 दिन मे ऋण राशि रूपये 8,43,886.59 अक्षरे आठ लाख तियालीस हजार आठ सौ छियासी रूपये उनसठ पैसे मात्र दिनांक 06.03.2020 तक बकाया + इसके आगे का ब्याज व खर्चे अतिरिक्त भुगतान करने के लिए मांग की। बैंक को आज दिनांक.....को रूपये.....अक्षरे.....+ इसके आगे का ब्याज व खर्चे अतिरिक्त ऋणी/जमानती से लेना है। बकाया राशि को वसूल करने के लिए बैंक को गिरवीकृत अचल सम्पत्ति श्री रविन्द्र कुमार पुत्र श्री हीरा लाल जाट के नाम व्यावसायिक भवन पट्टा नं0 705, खसरा नं0 596, वार्ड संख्या 29, चेलासी रोड, नवलगढ, जिला झुंझुनूं (राज0) स्थित भूमि व निर्मित भवन का कब्जा लेकर बिक्री करनी है। श्रीमान् को उक्त अधिनियम की धारा 14 के अन्तर्गत प्रतिभूति आस्ति को अपने नियन्त्रण में लेकर प्रतिभूति लेनदार (बैंक) को सुपुर्द करने का अधिकार प्राप्त है। गिरवीकृत अचल

जिला कलक्टर झुंझुनूं

सम्पत्ति जो कि आपके क्षेत्राधिकार मे है जिसका विवरण निम्न है:– श्री रविन्द्र कुमार पुत्र श्री हीरा लाल जाट के नाम व्यावसायिक भवन पट्टा नं0 705, खसरा नं0 596, वार्ड संख्या 29, चेलासी रोड, नवलगढ, जिला झुंझुनूं (राज0) स्थित भूमि व निर्मित भवन उपरोक्त सम्पत्तियों पर उक्त कार्यवाही करने के लिए किसी न्यायालय/अधिकरण के द्वारा कोई रोक नही है। सविनय निवेदन है कि उपरोक्त गिरवीकृत अचल सम्पत्ति का भौतिक कब्जा बैंक को दिलवाया जावे जिससे अधिनियम के प्रावधानुसार सम्पत्ति को बेचकर बकाया ऋण की वसूली की जा सके।

बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी एवं प्रार्थी प्रतिनिधि (बैंक प्रतिनिधि) ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों की पुनरावर्ती करते हुये प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थी को प्रतिभूति सम्पत्ति का कब्जा दिलवाये जानें का निवेदन किया। अतः प्रार्थी बैंक का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जावें।

अप्रार्थी बावजूद नोटिस तामिल न तो स्वयं उपस्थित न ही उसके और से कोई अधिवक्ता उपस्थित आयें। अप्रार्थी के विरूद्व एकपक्षीय बहस सुनी गई।

हमने प्रार्थी भारतीय स्टेट बैंक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र व इस प्रार्थना पत्र के साथ दस्तावेजात का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से यह जाहिर है कि अप्रार्थीगण, प्रार्थी भारतीय स्टेट बैंक के साथ हुये अनुबन्ध के अनुसार ऋण राशि को चुकाने में विफल रहें है। अतः अप्रार्थीगण/ऋणी, गारन्टर को व्यक्तिक्रमी मानते हुये प्रार्थी भारतीय स्टेट बैंक द्वारा प्रश्नगत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा सिक्योरिटाईजेशन एण्ड रिक्न्स्ट्रकशन ऑफ फाइनेन्शियल एसेटस एण्ड एनर्फोसमेंट ऑफ सिक्योरिटी इन्टरेस्ट एक्ट 2002 की धारा 14 के तहत प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुये बंधक रखी गई सम्पति श्री रविन्द्र कुमार पुत्र श्री हीरा लाल जाट के नाम व्यावसायिक भवन पट्टा नं0 705, खसरा नं0 596, वार्ड संख्या 29, चेलासी रोड, नवलगढ, जिला झुंझुनूं (राज0) पर स्थित है जिसमे भूमि, भवन एवं ढांचा आदि जो सभी सम्पत्ति के अभिन्न अंग है जिसका माप 44.44 वर्ग गज है का पजेशन प्रार्थी भारतीय स्टेट बैंक को जरिये संबंधित पुलिस थाना की इमदाद से प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते है। आदेश की प्रति जिला पुलिस अधीक्षक, झुंझुनू को इस अनुरोध के साथ प्रेषित की जाती है कि प्रार्थी भारतीय स्टेट बैंक के खर्चे पर उनकी आवश्यकतानुसार चाहे जाने पर पुलिस सहायता उपलब्ध करावें।

आदेश आज दिनांक 25.02.2021 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

25/02/21

(उमर दीन खान)
जिला कलक्टर एवं
जिला मजिस्ट्रेट, झुंझुनूं